The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 1 | Issue 2 | July-September 2023
ISSN: 2583-973X
Website: www.theacademic.in

छत्तीसगढ़ की जनजातियों की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति

डॉ0 योगमाया उपाध्याय

शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा

(Govt. G.N.A. P.G. College Bhatapara)

छत्तीसगढ़ विशिष्ट रहा है। इनमें से एक कारण यहॉ की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता, जन–जातीय बहुलता और सांस्कृति विरासत की समृध्दि भी हैं। पूरी दुनिया की बात करे तो जनजातियों के मामले में अफ्रीका के बाद भारत में ही जनजातियों की बहुलता हैं। सदैव से भारत में मानव समाज का एक समूह पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर निवास करने लगा। कालांतर में वह समूह विकासक्रम में दुर्गम स्थानों में निवास एवं दूरी के कारण निरंतर पिछड़ते चला गया क्योकि विकास का प्रकाश सम्यकू रूप से उन तक पहुंच नहीं पाया। वर्तमान में भी मानव समाज का यह हिस्सा सथ्यता एवं विकास के जिन सोपानों पर खड़ा है, निश्चित रूप से वह विकास के मुख्य धारा से दूर हैं। इन्ही समुदायों को आदिवासी, वनवासी, वन्य जाति, आदिम जाति एवं जनजाति के नाम से संबोधित किया जाने लगा। जबकि प्रत्येक समुदाय का अपना स्वयं का नाम हैं।

मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से जनजाति शब्द को प्रमुखतया स्वीकार किया जाने लगा। 'जनजाति' अंग्रेजी के "Tribes" शब्द का हिन्दी पर्याय है , जो भारतीय संविधान के लागू होने के बाद विशेष रूप से प्रचलित हुआ हैं। जनजाति को भिन्न–भिन्न विषय के विशेषज्ञों ने अपने–अपने अनुसार समझाने का प्रयास किया है परंतु प्रत्येक जनजाति को किसी एक परिभाषा के द्वारा समझने में सफलता प्राप्त नहीं हुई हैं।

- गिलिन एवं गिलिन के अनुसार :– ''जनजाति किसी भी ऐसे भारतीय समुदायों के समूह को कहा जाता है , जो एक सामान्य भू–भाग पर निवास करता हो , एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य सांस्कृतिक व्यवहार करता हो।''
- मानवशास्त्र की एक पुस्तक 'नोट्स एवं क्वेरिज' के अनुसार ''जनजाति एक ऐसा समूह है , जो किसी विशेष भू–स्थान का स्वामी हो , जो राजनैतिक तथा सामाजिक दृष्टि से श्रृंखलाबध्द स्वायत शासन चला रहा हो जनजाति कहलाती हैं।''
- जनजाति का अपना एक विशेष नाम होता हैं।
- जनजाति का परिवारों का एक समूह होता हैं।

*Corresponding Author

- प्रत्येक जनजाति विशेष की अपनी एक संस्कृति होती हैं।
- ज्नजातियों की अपनी एक विशेष बोली/भाषा होती हैं।
- गोत्र एवं सुरक्षात्मक संगठन होता हैं।
- स्वतंत्र प्रकार का राजनैतिक संगठन होता है , जिसमें सामान्यतः मुखिया सवौच्च होता हैं।

सर्वप्रथम मानवशास्त्रीयों एवं समाजशास्त्रीयों के द्वारा किसी समुदायी विशेष को विशेष नाम , उनके समूह , निवास स्थान , विशेष संस्कृति विशेष बोली एवं भाषा , गोत्र एवं अंतर्विवाही विशेषता , स्वतंत्र एवं सुरक्षात्मक संगठन क्षमता एवं स्वतंत्र राजनैतिक संगठन के आधार पर जनजातीय समुदाय घोषित करता हैं। तत्पश्चात इस समूह को कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत – 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में स्वीकार किया जा सकता हैं।

संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार 'राष्ट्रपति' किसी राज्य या संघ क्षेत्र के संबंध में जहां वह राज्य है , वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोकअधिसूचना द्वारा , उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजातीय समुदाय के भागों से विनिर्दिष्ट कर सकेगा , जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथा स्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र संबंध में अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। वास्तव में 'अनुसूचित जनजाति' एक प्रशासनिक एवं सर्वधानिक अवधारणा हैं। यह एक जनजाति समुदायों की ओर इशारा करती हैं। जो भारतीय संविधार के ओर इशारा करती है , जो भारतीय संविधार के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत सूचीबध्द है। यह जानने योग्य बात है कि संविधान में जनजाति शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया हैं। इसके अतिरिक्त किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए किन सिध्दांतो एवं नीतियों को अपनाया जाए इसके विषय में भी संविधान में कोई निर्दिष्ट नहीं हैं।

इस तरह अनुच्छेद 342 से केवल वह स्पष्ट होता हैं कि किसी भी जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में शामिल होने के लिए सबसे पहले और अनिवार्य रूप से एक जनजाति होना चाहिए। दूसरे शब्दों में गैर–जनजातीय जातियां एवं समुदाय अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किए जा सकते।

जनजातियों को अनुसूचित जाति के रूप में पहचान करने में आने वाली कठिनाईयों के बावजूद देश के नीति–निर्माता , योजना बनाने वाले प्रशासक जनजातीय समुदायों की सामाजिक , शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ापन की दशा से पूरी तरह परिचित थे। उनके लिए सुरक्षात्मक एवं सुधारात्मक कदम उठाने से पूर्व ऐसे जनजातीय समुदायों की एक सूची बनाना जरूरी है या जिनसे उनकी उन्नति एवं विकास के लिए देखभाल एवं संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इस तरह की पहली सूची संविधान के (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 के अन्तर्गत पिछड़ी जनजातियों को सम्मिलित कर बनाई गई थी।

इस तरह बाद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संसोधन के लिए बनी 'परामर्श समिति' ने जिसे 'लोकूर मेटी' के नाम से जाना जाता है। आदिम विशेषताएं , विशिष्ट संस्कृति , भौगोलिक अलगाव , समाज के संपर्क स्थापित करने में झिझक एवं पिछड़ेपन को अनुसूचित जनजाति के लिए पात्रता का मुख्य मापदण्ड माना गया।

छत्तीसगढ़ के जनजातियों के प्रमुख आभूषण :–

- लुरकी – यह कानों में पहना जाता है जो पीतल , चांदी , तांबे आदि धातुओं का बना होता है। इसे कर्ण फूल , खिनवा आदि भी कहा जाता है।
- करधन – चांदी गिलट या नकली चांदी से बना यह वजनी आभूषण छत्तीसगढ़ के प्रायः सभी जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर में पहना जाने वाला आभूषण हैं। इसे करधनी भी कहते हैं।
- सुतिय – गले में पहना जाने वाला यह आभूषण ठोस गोलाई में एल्युमिनियम , गिल्ट , चांदी , पीतल आदि का होता हैं।
- पैरी – पैर में पहना जाता , गिलट या चांदी का होता हैं। उसे पैरपट्टी तोड़ा या सांटी भी कहा जाता हैं। कहीं–कहीं इसका नाम लच्छा भी हैं।
- बांहुटा – बांह में स्त्री–पुरूष दोनों द्वारा पहना जाने वाला यह आभूषण अवसर चांदी या गिलट का होता है। इसे मैना जनजाति में पहुंची भी कहा जाता है। भुजियां इसे बनौरिया कहते हैं।
- बिछिया – पैर की अंगुलियों में पहना जाता हैं। यह चांदी का होता हैं। इसका अन्य नाम चुटकी बैगा जनजाति में पहना जाता हैं।
- ऐंठी – यह कलाई में पहना जाने वाला आभूषण है , जो कि चांदी , गिलट आदि से बनाया जाता हैं। इसे ककना और गुलेठा भी कहा जाता हैं।
- बन्धा – गले में पहना जाने वाली यह सिक्कों की माला होती है , पुराने चांदी के सिक्कों की माला आज भी आदिवासी स्त्रियों की गले की शोभा हैं।
- फुली – यह नाक में पहना जाता है चांदी , पीतल या सोने का भी होता है इसे लौंग भी कहा जाता हैं।
- धमेल – गले में पहना जाने वाला यह आभूषण चांदी या पीतल अथवा गिलट का होता है। इसे सरिया व हंसली भी कहा जाता हैं।
- नागकोरी – यह कलई में पहना जाता हैं।
- खोंचनी – यह सिर के बालों में लगाया जाता है। बस्तर में मुरिया , माड़िया आदिवासी इसे लकड़ी से तैयार करते हैं। अनेक स्थानों पर चांदी या गिलट का तथा वहीं पत्थर भी प्रयोग किया जाता है। बस्तर में प्लास्टिक कंघी का भी इस्तेमाल इस आभूषण के रूप में होता है इसे ककवा कहा जाता हैं।
- मुंदरी – यह हाथ में अंगुलियों पहना जाने वाला धातु निर्मित आभूषण हैं। बैगा जनजाति की युवतियां इसे चुटकी भी कहती है।

- सुर्डा/सुर्रा – यह गले में पहना जाता हैं। गिल्ट या चांदी निर्मित यह आभूषण छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की एक पहचान है।

जनजातियों के पारंपरिक व्यवसाय –

जनजातियों की अर्थव्यवस्था जंगल पर आधारित रहती हैं। जनजातियों के अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता उनकी जीवन निर्वाही अर्थव्यवस्था को माना जाता हैं।

जनजाति	पारंपरिक कार्य
भगरिया	लौह शिल्प कला
बैगा	बीमारी और किसी बाधा का जड़ी–बूटी , तंत्र–मंत्र से उपचार करना
खड़िया	पालनी ढोने का कार्य करते हैं।
कोरकु	भूमि खोदने का कार्य करते हैं।
खैरवार	कत्था निकालने का कार्य करते हैं।
पारधी	काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं।
कंवर	सैन्य कार्य करते हैं।
भतरा	सेवक का काम करते हैं।
कमार	बंस का काम करते हैं।
कोल	कोयला खोदने का कार्य करते हैं।
मंडरा	बांस का बर्तन बनाने का कार्य

जनजातियों में स्थानांतरित कृषि :–

मानव जीवन को स्थायित्व प्रदान करने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं। इसके साथ ही कृषि ने ही मानव के खाद्य श्रृंखला में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है , जिसके चलते मानव के अपने परिवार का न केवल भरण–पोषण किया है , बल्कि कृषि से अपने आर्थिक–क्रियाकलाप संबंधी अनेक कार्यो की पूर्ति की हैं। अपने व्यवसायों की स्थापना की हैं। कृषि को अपने प्रकृति के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। अस्थायी और स्थायी कृषि जिसमें से अस्थायी कृषि से सरल या जनजातीय समाज की और स्थायी कृषि को आधुनिक समाज की कृषि मानी जाती हैं। अस्थायी कृषि को अलग–अलग जनजाति में अलग–अलग नामों से जाना जाता हैं।

जनजाति	स्थानांतरित कृषि का नाम
बैगा	बेवार
कमार	दाहिया
अबुझमाड़िया	पेट्टा
कोरवा	देवारी
गोड़	धारिया या बेवार

भतरा	दक्षिण

जनजातियों के विशेष पर्व

क्रं.	त्यौहार	जनजाति	विशेष
1	नवाखानी	गोंड़	नई फसल आने पर आयोजन
2	सरहुल	उरांव	साल वृक्ष में फूल उगने पर
3	बीज बोहनी	कोरवा	कृषि के दौरान आयोजित
4	कोरा	कोरवा	कृषि के दौरान आयोजित
5	धेरसा	कोरवा	कृषि के दौरान आयोजित
6	आमावाई	परजा , धुरवा	आम पकने के समय आयोजित
7	धनकुल	भतरा , हल्बा	तीज के समय आयोजन (भाद्रपद)
8	बस्तर का दशहरा	मुरिया प्रमुख रूप से	दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है।

जनजातियों देवी–देवता

जनजाति	देवी–देवता
कोरवा	खुड़िया रानी
उराँव	सरना देवी
गोंड	दुल्हा देव
बैंगा	बुढ़ादेव
बमार	छोटे माई – बड़े माई
कंवर	सगराखण्ड
मुढ़िया	अंगादेव
भतरा	शिकार देवी
बिंझवार	विंध्यवासिनी

जनजातियों के प्रमुख देवता :–

भंगाराम घुटाल, ठाकुर देव, बुढ़ादेव, मुंअर, भैरमबाबा, डालर देव, डोकरादेव, भैरम वलहा, चौरासी देव, आंगापाटदेव, बारर तेरह के भी पाटदेव , चिकटराव।

जनजातियों के प्रमुख देवियां :–

मां दंतेश्वरी , केशरपालीन , तेलंगीन , सातवाहिन , दाबागोसीन ,शीतलादाई , मॉवली , कोटागढ़ीन , घाटमुंडीन , लोहड़ीमुड़ीन , दुलारदई , सातवाहिनी महिषासुर , मर्दिनी , हिंगलाजीन , गोदनामाता , जागबलिन , लोहराजमाता , आमबिलन , कंकालनी परेशीन , करनाकोटिन।

जनजातियों के आराध्य वृक्ष :–

इन वृक्षों को आदिवासियों द्वारा नहीं काटा जाता हैं। आदिवासी संस्कृति में वृक्षों को माता–पिता व देवता के समकक्ष माना गया हैं। इनके प्रति अगाध श्रध्दा आदिवासी समुदायों में देखने को मिलता हैं। इन वृक्षों के नाम हैं – सल्फी , केला , मुनगा , कहुआ , अमरूद , नीम , ताड़ , बेर तेंदु , पीपल , गुलर बेल , बरगद , कुल्लू , आम–नींबू।

जनजातियों के नृत्य :–

1. मांदर – मुड़िया / मारिया – घोटुल के बाहर किया जाता हैं।
2. गेंड़ी नृत्य / डिटोम नृत्य – मुड़िया – केवल लड़के भाग लेते हैं।
3. सरहुल – उराँव – यह नृत्य साल वृक्ष में फूल आने पर किया जाता है।
4. सैल नृत्य / डंडा – बैंगा / गोंड – दीपावली के समय कार्तिक पक्ष से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा तक चलता है।
5. भड़म नृत्य – भारिया – सबसे लम्बे समय तक चलने वली नृत्य है।

प्रमुख बोली एवं उनके क्षेत्र :–

बोली		जिला
हल्बी	–	बस्तर , दंतेवाड़ , कांकेर

भरती	–	बस्तर संभाग के आसपास
गदबी	–	बस्तर संभाग
सदरी	–	सरगुजा संभाग
कुडुख	–	सरगुजा संभाग
दोरली	–	दंतेवाड़ा
माड़िया	–	बस्तर संभाग और बिलासपुर
परजी	–	बस्तर संभाग
गोंडी	–	बस्तर संभाग व दुर्ग राजनांदगांव रायपुर

जनजातीय संस्कार :–

- जन्म संस्कार – आदिवासी शिशु जन्म को प्राकृतिक घटना मानते हैं।
- नामकरण – यह संस्कार बच्चे के जीवन का पहला संस्कार होता हैं।
- अतिथि संस्कार – 'अतिथि देवों भवः' की उक्ति आदिवासी समाज में पूर्णतः चरितार्थ होती है।

जनजातीय शिल्प एव चित्रकला :–

- मिट्टी शिल्प
- काष्ठ शिल्प
- बांस शिल्प
- पत्ता शिल्प
- कंघी शिल्प
- धातु कला
- घड़वा कला
- लौह शिल्प
- तीर धनुष कला
- प्रस्तर शिल्प
- मुखौटा कला

छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातीय शिल्पकार :–

- गोविन्द राम झारा
- रामलाल झारा
- जयदेव बघेल
- गेंदराम सागर
- श्रीमती सोनाबाई
- वृंदावन
- क्षितरूराम
- देवनाथ
- शम्भू
- चंदनसिंह
- मनिक घड़वा
- अजय मंडावी

छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातीय चित्रकार :–

- बेलगूर मंडावी
- जनगण सिंह
- आंनद सिंह श्याम और श्रीमती कलावती गोड़
- नर्मदा सोनसाय
- श्री निवास विश्वकर्मा
- बंशीलाल विश्वकर्मा
- देवेन्द्र सिंह ठाकुर
- खेमदास वैष्णव
- वनमाली रामनेताम
- सुरेश विश्वकर्मा

निष्कर्ष :– जनजाति परिवारों अथवा समूहों का ऐसा समुदाय है जिसका सामान्य नाम होता है जो एक सामान्य भू–भाग में रहते है , एक सामान्य भाषा बोलते है और विवाह व्यवसाय या उद्योग के विषय में कुछ वर्जनों का पालन करते हैं और उन्होनें परस्पर आदान–प्रदान और कर्तव्यों की पारस्परिकता की अच्छी तरह जाँची हुई व्यवस्था विकसित कर ली है।

संदर्भ :–

(1) डॉ. गीतेश कुमार अमरोहित ''छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ'' कैलास पुस्तक सदन , भोपाल 2019.

(2) प्रियंका डोंगरे/रीया खत्री ''औद्योगिक समाजशास्त्र'' कैलास पुस्तक सदन , भोपाल 2019.